38

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

01–कामता प्रसाद तिवारी तनय रामसजीवन तिवारी, निवासी ग्राम बड़खेरा, तहसील उंचेहरा, जिला–सतना म.प्र.

III/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/4586

02–रामरूप तिवारी तनय रामकुमार तिवारी, निवासी ग्राम बड़खेरा, तहसील उंचेहरा, जिला–सतना म.प्र.

03–उमेश तिवारी तनय रामकुमार तिवारी, निवासी ग्राम बड़खेरा, तहसील उंचेहरा, जिला–सतना म.प्र.

04–रामलखन तिवारी तनय रामकुमार तिवारी, निवासी ग्राम बड़खेरा, तहसील उंचेहरा, जिला–सतना म.प्र.

05–कमलेश तिवारी तनय रामकुमार तिवारी, निवासी ग्राम बड़खेरा, तहसील उंचेहरा, जिला–सतना म.प्र. .... **निगराकारगण**

बनाम

01–अनिल शुक्ला पिता हीरालाल शुक्ला, निवासी ग्राम बड़खेरा, तहसील उंचेहरा, जिला–सतना म.प्र.

02–म.प्र. राज्य जरिए हल्का पटवारी बड़खेरा, तहसील उंचेहरा, जिला–सतना म.प्र. .... गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध अन्तरिम आदेश अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग–उंचेहरा जरिए रा.प्र.क्र. 27/अपील/2016–17 आदेश दिनांक 26.10.2017

द्वारा आज दि. 23-11-17 को प्रस्तुत
23-11-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पे०दि० 13-12-17

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में निगराकारगण निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी हैं :–

क्रमशः.........2

कमलेश तिवारी

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/4586

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
22-12-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उंचेहरा के प्रकरण कमांक 27/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26.10.17 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2-प्रकरण संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक-1 द्वारा नायब तहसीलदार लगरगंवा तहसील उंचेहरा जिला सतना के न्यायालय में आवेदक प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण कमांक 1/अ-13/90-90 एवं प्रकरण कमांक 5/अ713/90-91 में पारित आदेश दिनांक 15.4.91 का आवेदकगण कामता प्रसाद तिवारी आदि द्वारा उल्लंघन किया जाकर आबादी आराजी कमांक 306 में किये जा रहे जर्बजस्ती निर्माण कार्य को रोके जाने बावत आवेदन दिया। नायब तहसीलदार लगरगंवा तहसील उंचेहरा द्वारा दिनांक 8.2.17 को आवेदन स्वीकार कर निर्माण कार्य हटाने का आदेश दिया गया। इससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 6.11.17 को आदेश 22 नियम-9 जा0 दी0 का आवेदन खारिज होने से यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पटवारी से जांच प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा आहूत किया था। उसके बाद ही निर्माण रोकने के आदेश तहसीलदार द्वारा दिये गये थे। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 6.11.17 को आदेश 22 नियम–9 जा0 दी0 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो अनुविभागीय अधिकारी उंचेहरा द्वारा बिना जांच कराये निरस्त कर दिया गया था। इससे अनुविभागीय अधिकारी उंचेहरा का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उंचेहरा के प्रकरण कमांक 27/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 26.10.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह स्थल निरीक्षण की जांच प्रतिवेदन आहूत कर आवेदन पर विचार करें। आवेदक प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सदस्य